प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन, प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) के कार्यालयों की संगठनात्मक संरचना एवं कंडिकाओं पर विभागों द्वारा दिये गये उत्तर उद्धृत किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्य बिन्दुओं को भी इस अध्याय में दर्शाया गया है।

3. अध्याय दो में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है, अध्याय तीन विभिन्न विभागों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा को समाहित करता है एवं अध्याय चार में शासकीय विभागों की कार्यपद्धतियों पर टिप्पणियाँ दी गई हैं।

4. (क) राज्य सरकार के वित्त पर अभ्युक्तियाँ, (ख) सांविधिक निगमों, मंडलों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों तथा (ग) राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों के वर्णन वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। 2010-11 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।